

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय— वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2 X 660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक-8बी/08/38/2016/एफ.सी./79, दिनांक 13.05.2016 एवं अनुसचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक-भा.स.102/14-2-2016-800(64)/2016, दिनांक 17.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख, मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-125/मिर्जापुर/33,, दिनांक-16.07.2016 द्वारा इस कार्यालय को निर्धारित प्रारूप (टैबुलर फार्म) में प्रेषित किया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

Observ No.	Observation of Gol	Reply
1.	The proposal has not been submitted after analyzing other minimum three alternatives and selection of the alternative having minimum forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु तीन विकल्प रूट मैप प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। इनमे से न्यूनतम वन क्षेत्र से सम्बन्धित विकल्प का ही चयन किया गया है।
2.	At various places seal of different officials has not been affixed.	प्रस्ताव में विभिन्न अपेक्षित पृष्ठों पर सम्बन्धित अधिकारियों की मुहर लगा दी गयी है।
3.	The user agency is a private entity and most of the certification/undertakings have not been counter signed by the concerned district level authorities.	प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्तुत बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
4.	The component wise break up of forest land requirement at B-2.4 (part-I) is incorrect.	परियोजना के विभिन्न घटकों हेतु अपेक्षित वन भूमि का मदवार विवरण प्रस्तावक संस्था द्वारा पार्ट-1 के ठ. 2.4 के अनुसार अपेक्षित भूमिगत वाटर पाइप लाइन हेतु-5.8162 हे० एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे० हैं जिसे तदनुसार संशोधित कर अंकित किया गया है।
5.	The project proponents/user agency have authorized three directors to sign on behalf of the company whereas the papers in hard copy has been signed by the 4 th person one of the Managers. This needs clarification.	प्रस्तावक संस्था वेलस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा०लि० के बोर्ड आफ डायरेक्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है।

6.	The proposal is without relevant undertaking regarding conditions imposed by Department of Irrigation, UP Government & Central Water Commission. Ministry of Water Resources. Government of India regarding usage water from Ganga River.	प्रस्तावक संस्था वेलेस्पन इनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा उपलब्ध कराया गया अन्डरटेकिंग मूल में संलग्न हैं।
7.	Form per the kml file enclosed regarding proposed forest land diversion, location of approach road cannot be deciphered.	निर्देशानुसार KML File अपलोड किया गया हैं। (सी०डी० संलग्न)
8.	The kml files for proposed forest land diversion are in poly-line format rather polygon format to be amenable for GIC DSS analysis. It has been noticed that only GPS coordinated of centre line has been provided in the kml files. The forest area has been masked therefore the assessment of other ground features cannot be done.	निर्देशानुसार KML File अपलोड किया गया हैं। (सी०डी० संलग्न)
9.	As per information provided at C (ii) (b) in part I, one segment of forest patch has been mentioned whereas on the map itself many forest segments are visible.	निर्देशानुसार KML File अपलोड किया गया हैं। (सी०डी० संलग्न)
10.	The justification note uploaded at D(i) mentions requirement of forest area is 7.6308 ha whereas the proposal has been submitted for 8.3581 ha of forest land which is erroneous and misleading.	प्रस्तावक संस्था द्वारा जस्टिफिकेशन नोट में क्षेत्रफल को संशोधित कर 8.3581 हेक्टेयर अंकित कर दिया गया है तथा part-1 में अपलोड कर दिया गया हैं।
11.	Forest land gazette notification uploaded with the proposal has not been authenticated by the concerned DFO.	प्रस्ताव मे संलग्न गजट नोटिफिकेशन में जलापूर्ति बावत भूमि गत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु प्रस्तावित आराजी को चिन्हित तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हैं।
12.	The site suitability certificate uploaded mentions 7.6298 ha whereas proposal is for diversion of forest land to the extent of 8.3581 ha. Even mandatory requirement of equivalent non forest land to make good loss of forest has been fulfilled. The format of site suitability certificate is not as per requisite format.	उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।

13.	Toposheet uploaded for location of approach road is hazy and without title, index & legend.	प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई टोपोशीट जिस पर Title, Index & legend अंकित है मूल में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न करते हुए ऑन-लाइन अपलोड कर दिया गया है।
14.	Uploaded forest land calculation sheet is without details and has not been signed by the concerned DFO.	प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लैण्ड शैड्यूल संलग्न तथा ऑन-लाइन भी अपलोड किया गया है।
15.	In part II, at Sr. No.5 regarding working plan prescription it is mentioned as "No Data". Reason for providing no data may be explained.	भाग-2 के क्रम सं0-5 कार्य योजना वर्ष 2014-15 से 2023-24 के अध्याय 1 के प्रस्तर सं0-1.23 में उल्लिखित हैं कि अभिलेखों में अंकित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुमति केन्द्र/भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हैं।
16.	In part II, at Sr No.6 regarding vulnerability of forest area for soil erosion, it has been mentioned that 'no soil erosion' which appears to be incorrect assessment and reason for such incorrect assessment needs to be submitted.	भाग-2 के क्रम सं0-6 में अपेक्षित सूचना अपलोड कर दी गयी है।
17.	In part II, at Sr No. 11(i) it has been mentioned that work has been carried out in violation of FCA 1980 but the details have not been provided in 11(i) (a),(b)& (c).	भाग-2 के क्रम सं0-11(1) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक संस्था द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जैसा कि पूर्व में भी अपलोड किया गया है। अतः 11(1) 0(इ)-(ब) से सम्बन्धित सूचना शून्य हैं।
18.	The compensatory afforestation has been proposed on equivalent non forest land for which uploaded site suitability certificate is not as per appropriate format.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि का उपयुक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न हैं।
19.	The estimate for compensatory Afforestation has been framed for 10 ha whereas the extent of CA is only 8.3581 ha. Therefore, the same needs revision as per the proposal.	8.3581 हे0 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न हैं। प्राक्कलन 10.00 हे0 के माडल प्रारूप के आधार पर तैयार किया गया है, न कि 10.00 हे0 में वृक्षारोपण हेतु। 10.00 हे0 क्षेत्रफल के माडल के आधार पर 8.3581 हे0 गैर वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार कर संलग्न कर दिया गया है।
20.	The site inspection report (uploaded) is without seal of the concerned DCF.	मौके के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (चेक लिस्ट-25) पर मुहर लगा दी गयी है।
21.	The NPV calculation sheet is incorrect and needs revision.	एन.पी.वी. का आगणन पूर्व में 8.87 लाख प्रति हे0 की दर से किया गया था जिसको ईको क्लास व हरियाली घनत्व के आधार पर 6.26 लाख प्रति हेक्टेअर की दर से संशोधित कर दिया गया है।

22.	Certification & NOCs from Village level Committees under FRA 2006 needs compilation and submission of on abstract sheet shoeing relevant forest area of each village.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपेक्षित/संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्तावक संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।
23.	As per the details provided, the progress of compensatory a forestation is very low (mere 75 ha out of stipulated 360 ha). Reasons may be submitted for the same.	क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रस्ताव में अंकित कर दी गयी है।
24.	Pages form 120 to 194 are not relevant.	प्रस्ताव में संलग्न पेज संख्या 120 से 194 प्रस्ताव से अलग कर प्रस्ताव की कम संख्या संशोधित कर दी गयी है।
25.	The proposal requires submission of detailed layout plan showing specific location of each major components of Thermal power plant.	प्रस्तावक संस्था द्वारा परियोजना का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न हैं।
26.	Two separate enumeration lists are required- (a) Total trees standing on the proposed forest land (b) Trees required to be felled.	यह कि प्रस्तावक संस्था द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण में बाधक समस्त 296 वृक्षों का पातन किया जाना है। तदनुसार प्रभावित व पातन किए जाने वाले वृक्षों की सूची समान है।
27.	Joint inspection by DFO has been done with whom because other signature is of Regional Office and if cannot be made out who is the third signatory.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण, प्रस्तावित संस्था के सक्षम अधिकारी के साथ किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण के मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान, मीरजापुर एवं विढमफाल मौजूद थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी मीरजापुर एवं मड़िहान की मुहर नहीं लग पायी थी, जिसे अब लगा दिया गया है।

उक्त पत्र की छायाप्रति सहित समस्त अभिलेखों को प्रस्ताव की एक मूल प्रति के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की मूलप्रति को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को सन्दर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भविष्य
(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— / 11-C-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
- 3- श्री अनुराग चोखलानी, अधिकृत-प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा०लि०, मिर्जापुर।

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।